भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 925

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है

**न्यायिक अधिकारियों और अभियोक्ताओं की संख्या**

**925. श्री हुसैन दलवई :**

**श्रीमती वंदना चव्हाण :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायिक अधिकारियों और अभियोक्ताओं की राज्य-वार और रैंक-वार संस्वीकृत संख्या एवं रिक्तियां कितनी-कितनी हैं ;

(ख) सरकार द्वारा उनकी संस्वीकृत संख्या और वास्तविक संख्या के बीच अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) न्यायिक अधिकारियों और अभियोक्ताओं के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध् प्रशिक्षण अकादमियों/ संस्थाओं की उनकी प्रशिक्षण क्षमताओं सहित राज्य-वार कुल संख्या कितनी है ; और

(घ) वर्ष 2014 के बाद से उन न्यायिक अधिकारियों और अभियोक्ताओं की राज्य-वार और रैंक-वार कुल संख्या कितनी-कितनी है, जिन्हें मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) :** जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । अभियोजकों की नियुक्ति तथा भर्ती भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । अतः जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों की राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार और रैंक वार पद संख्या और रिक्तियां केन्द्रीय रुप से रखी जाती हैं । तथापि, राज्य सरकारों उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों

के न्यायिक अधिकारियों की मंजूर कार्यरत पदसंख्या और रिक्तियों के राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे **उपाबंध-1** पर विवरण में दिए गए हैं ।

**(ख) :** संविधान के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति करना संबंद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों का उत्तरदायित्व है । तथापि केन्द्रीय सरकार अधीनस्थ न्यायपालिका के पद-संख्या और समय-समय पर सुसंगत राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ रिक्त पदों को भरे जाने के संबंधी मामले को देखती है ।

**(ग) और (घ) :** उपलब्ध जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य न्यायिक अकादमी की सूची **उपाबंध-2** पर विवरण मे दी गई है । केन्द्रीय सरकार दवारा न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों के लिए भाग लेने वाले प्रशिक्षण के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**उपाबंध-1**

**राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 925 जिसका उत्तर 22 दिसम्बर, 2017 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

**30.11.2017 को यथाविद्यमान जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृति पद संख्या, कार्यरत संख्या और रिक्तियां**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य** | **30.11.2017 को मंजूर पद संख्या** | **30.11.2017 को कार्यरत पद संख्या** | **30.11.2017 को रिक्तियां** |
| 1 | आंध्र प्रदेश और तेलंगाना \*\* | 987 | 873 | 114 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 28 | 17 | 1 1 |
| 3 | असम | 428 | 352 | 76 |
| 4 | बिहार \*\* | 1826 | 1001 | 825 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 398 | 335 | 63 |
| 6 | गोवा | 55 | 43 | 12 |
| 7 | गुजरात\*\* | 1511 | 1126 | 385 |
| 8 | हरियाणा | 644 | 497 | 147 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश\*\* | 159 | 149 | 10 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 253 | 214 | 39 |
| 1 1 | झारखंड \*\* | 672 | 421 | 251 |
| 12 | कर्नाटक\*\* | 1303 | 978 | 325 |
| 13 | केरल\*\* | 534 | 461 | 73 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 2021 | 1273 | 748 |
| 15 | महाराष्ट्र | 2096 | 1947 | 149 |
| 16 | मणिपुर | 49 | 31 | 18 |
| 17 | मेघालय | 97 | 39 | 58 |
| 18 | मिजोरम | 63 | 30 | 33 |
| 19 | नागालैंड | 34 | 23 | 1 1 |
| 20 | ओडिशा | 862 | 658 | 204 |
| 21 | पंजाब | 674 | 538 | 136 |
| 22 | राजस्थान\*\* | 1223 | 1127 | 96 |
| 23 | सिक्किम \*\* | 23 | 15 | 8 |
| 24 | तमिलनाडु \* | 1257 | 916 | 341 |
| 25 | त्रिपुरा | 107 | 76 | 31 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 3204 | 1860 | 1344 |
| 27 | उत्तराखंड\*\* | 291 | 230 | 61 |
| 28 | पश्चिमी बंगाल और अदमान और निकोबार द्वीप \*\* | 1013 | 929 | 84 |
| 29 | चंडीगढ़ | 30 | 30 | 0 |
| 30 | दादर और नागर हवेली और दमन और दीव \*\* | 7 | 7 | 0 |
| 31 | दिल्ली \*\* | 799 | 483 | 316 |
| 32 | लक्षद्वीप \*\* | 3 | 2 | 1 |
| 33 | पांडिचेरी \* | 26 | 12 | 14 |
| **कुल** | | **22,677** | **16,693** | **5984** |

**\* 7.11.2017 को यथाविद्यमान**

**\*\* 31.10.2017 को यथाविद्यमान**

**उपाबंध-2**

**राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 925 जिसका उत्तर 22 दिसम्बर, 2017 को दिया जाना है के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

**न्यायिक अकादमियों की सूची**

1. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल
2. न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश
3. आंध्र प्रदेश न्यायिक अकादमी
4. महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, ठाणे
5. पश्चिम बंगाल न्यायिक अकादमी
6. छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी
7. दिल्ली न्यायिक अकादमी, नई दिल्ली
8. असम राज्य न्यायिक अकादमी
9. गुजरात राज्य न्यायिक अकादमी
10. हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी
11. जम्मू एवं कश्मीर राज्य न्यायिक अकादमी
12. न्यायिक अकादमी, झारखंड
13. कर्नाटक न्यायिक अकादमी
14. केरल न्यायिक अकादमी
15. मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी
16. तमिलनाडु राज्य न्यायिक अकादमी
17. ओडिशा न्यायिक अकादमी
18. बिहार न्यायिक अकादमी
19. चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी
20. राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी
21. उत्तराखंड न्यायिक और विधिक अकादमी
22. सिक्किम न्यायिक अकादमी

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*